न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 81 / 2020(2020 / 00279)

1. रामनिवास पुत्र गोपाल माली।
2. पांची देवी पत्नी गोपाल माली।
   निवासी सूरजपोल गेट बाहर, केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी।
2. सत्यनारायण पालीवाल पुत्र मोहनलाल पालीवाल जाति पालीवाल निवासी केकडी।
3. विष्णु कुमार जेतवाल पुत्र रामस्वरूप जेतवाल जाति तेली निवासी जयपुर रोड गिरनार ट्रेडर्स की गली, जेतवाल भवन केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः— श्री कमलेश कुमार शर्मा—वकील प्रार्थी
श्री आर.पी.अग्रवाल—वकील अप्रार्थी 2
श्री नवल किशोर पारीक—अप्रार्थी 3
श्री तहसीलदार केकडी—पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक— 17.10.2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है प्रार्थीया की खातेदारी की आराजी वाके केकडी तहसील केकडी में स्थित है आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार है

खाता संख्या नया-पुराना	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
531—465	7307	0.53	बारानी 1

उपरोक्त वर्णित आराजी वादी संख्या 1 एवं वादी संख्या 1 के पिता गोपाल पुत्र बालू माली के नाम दर्ज चली आ रही है वादी संख्या 1 के पिता एवं वादी संख्या 2 के पिता का स्वर्गवास हो चुका है तथा वादीगण ही स्व. गोपाल केक एकमात्र विधिक वारिस काबिज जायदाद है वादीगण के अतिरिक्त स्व. गोपाल के अन्य कोई विधिक वारिसान नही है इस प्रकार वर्णित आराजीयात वादीगण के कब्जे काश्त में निरंतर चली आ रही है उक्त आराजी के वादीगण खातेदार काश्तकार है उक्त वाद वर्णित आराजीयात के खसरा नंबर वर्किंग जमाबंदी में एवं संख्या 2028 की जमाबंदी में 5621 थे तथा जमाबंदी संख्या 2028 के आधार पर जो नक्शा ट्रेस राजस्व विभाग द्वारा तैयार किया गया था मौके पर वादीगण उक्त नक्शा ट्रेस के आधार पर ही काबिज है लेकिन राजस्व अधिकारियों ने बिबना किसी सक्षमय अधिकारी अथवा न्यायालय के आदेश के वर्तमान नक्शा ट्रेस तैयार करते समय पूर्व नक्शे की स्थिति को बिलकुल ही बदलते हुए वादीगण के आराजीयात का रकबा कम करते हुए तरमीम कर दिया है जबकि वादीगण पूर्व नक्शे के अनुसार काबिज चले आ रहे है राजस्व अधिकारियों वादीगण की आराजीयात को कम दर्शा दिया है जिसे दुरूस्त किया जाकर पूर्व नक्शा संख्या 2028 के अनुसार तरमीम किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। वादी के उक्त आराजी का जो नवीन नक्शा जो दिया गया है उसमें पूर्व स्थिति को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है व नक्शे में भिन्नता कर दी गई है जो दुरूस्त किया जाकर, वापस उसी तरह तरमीम किया जाना आवश्यक है

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

जिससे वादीगण की आराजी का रकबा कम न हो सके तथा मौके पर भी किसी भी प्रकार से उक्त नक्शे के आधार पर कोई विवाद उत्पन्न नही हो सके इसके लिए ट्रेस संख्या 2028 के नक्शे के आधार पर ही वर्तमान नक्शा ट्रेस बनाया जाना न्यायोचित है अतः वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात के वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस में पूर्व नक्शा ट्रेस संख्या 2028 की स्थिति कायम करते हुए वर्तमान नक्शा ट्रेस में तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान कराने का निवेदन प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर जाकर अप्रार्थीगण को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जो निम्नानुसार है

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जवाब निम्नानुसार हैः–

प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 प्रार्थीगा स्वयं सिद्ध करे। व पैरा संख्या 2,3 गलत व अस्वीकार है माजुदा नक्शा है जो सही है एवं इसी अनुसार मौके पर जमीन उपलब्ध है उक्त नक्शे से अधिक जमीन होने का कथन नितांत गलत व अस्वीकार है प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 4 गलत है मौजुदा नक्शा मौके की स्थिति के अनुसारा सही है जिसे परिवर्तन करवाये जाने का प्रार्थी को कोई विधिक अधिकार नही है पैरा संख्या 5 गलत व अस्वीकार है उक्त वाद निराधार है मुझ विपक्षी संख्या 2 ने खसरा संख्या 7307/8796 रकबा 0.69हैक्टर एवं खसरा नंबर 7306 पूर्व खातेदार मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकडी से उक्त आराजीयात स्थित केकडी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र 28.1.2008 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया जो वर्तमान जमाबंदी में मेरे खातेदार में दर्ज है जो केकडी में स्थित है उक्त भूमि मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल में पूर्व खातेदार जगदीश पुत्र मांगीलाल, भंवरलाल पुत्र जगदीश निवासी लक्ष्मीपुरा हाल केकडी व रतनलाल पुत्र सुरजकरण मिठूलाल पुत्र रामकुँवार जाट से खरीदी थी जो वर्तमान में मुझ अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज है अप्रार्थी संत्यनारायण की भूमि पर पूर्व में एन ओ सी जारी की गयी थी जो की मौके पर नाप चोप किये जाने के उपरान्त भी एन ओ सी जारी की गयी थी। मुझ अप्रार्थी ने मेरी क्रय शुदा भूमि पर वर्ष 2007 में पृथ्वीराज नगर के नाम से भूखण्ड विक्रय किये थे जो कई व्यक्तियों को भूखण्डो की रजिस्ट्री बेचान नामा करवाया गया व मौके पर नाप भूखण्ड सम्भलाये गये। प्रार्थी का उक्त प्रकरण चलने योग्य नही है मियाद बाहर कई व्यक्ति प्रभावी व आवश्यक पक्षकार है प्रार्थी इस निराधार मुकदमें की आड में गलत नक्शा बनाकर अपना रकबा कागजो में बढ़ाना चाहता है जिससे कई विवाद उत्पन्न होगे एस्टोपल का सिद्धान्त लागु होता है।

अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से जवाब निम्नानुसार हैः–

प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 1 प्रार्थीगण स्वयं सिद्ध करे। पैरा संख्या 2 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है पैरा संख्या 3 गलत व अस्वीकार है मौजूदा नक्शा है जो सही है एवं इसी अनुसार मौके पर जमीन है मौके पर नक्शे से अधिक जमीन होना अस्वीकार है प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 4 गलत है नक्शा परिवर्तित करवाये जाने का प्रार्थी को कोई विधिक अधिकार नही है प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 5 गलत व अस्वीकार है वाद निराधार है एवं पैरा संख्या 6 कानूनी है प्रार्थना पत्र 7 लगायत 9 गलत होने से अस्वीकार है प्रार्थी के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई कारण उत्पन्न नही हुआ है शेष प्रार्थना प्रार्थी है जो खारिज होने योग्य है अप्रार्थी संख्या 3 ने वादग्रस्त भूमि टुकडा भूखण्ड जर्ये रजि. विक्रय पत्र के खरी कर कब्जा प्राप्त किया है जिसे नक्शा दुरूस्त किये जाने पर बहुवाद कार्यवाहीयो का सामना करना पडेगा प्रार्थी द्वारा राजस्व नक्शे की दुरूस्ती बाबत आवश्यक पक्षकार नही बनाये गये है जिस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है

अप्रार्थी संख्या 1 जर्ये तहसीलदार केकडी ने जवाब/मौका रिपोर्ट पेश कि जो निम्नानुसार हैः–

1. करवा केकडी की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2076 के स्थायी के खाता संख्या 531 के खसरा नंबर 7307 रकबा 0.53 बारानी व गोपाल पुत्र बालू हिस्सा 1/2, रामनिवास पुत्र गोपाल हिस्सा 1/2 कौम माली सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नंबर 7307/0.53,– 5621/0.53 क्रमशः ख.न. बने है।
2. बिन्दु संख्या 2 वादी स्वयं सिद्ध करे।
3. भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैया साबिक खसरा नंबर 5621 व हाल खसरा नंबर 7307 के नक्शे को मिलान किया गया। साबिक नक्शे के मुताबिक हाल नक्शा शीट की आकृति छोटी कम की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

साबिक नक्शे का क्षेत्रफल 0.52हैक्टर जितना है जबकी हाल नक्शे का क्षेत्रफल 0.45हैक्टर जितना है साबिक नक्शा अनुसार हाल नक्शे में खसरा नंबर 7307की उतरी–पश्चिमी भूजा खसरा नंबर 7307/8696 में बढती है जिसका प्रस्तावित शुद्धी नक्शा संलग्न है खसरा नंबर 7307/8696 रकबा 0.69 सत्यनारायण पुत्र मोहनलाल कौम पालीवाल सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है अतः खसरा नंबर 7307/8696 के खातेदार सत्यनारायण पुत्र मोहनलाल पालीवाल की सुनवाई किया जाना उचित है बिन्दु संख्या 4 बिन्दु संख्या 3के अनुसार ही है बिन्दु संख्या 5, 9 कानूनी है

बहस में वादी अधिवक्ता ने अपने पक्ष के समर्थन में खसरा नंबर 5621 व हाल खसरा नंबर 7307 के नक्शे को मिलान किया गया। साबिक नक्शे के मुताबिक हाल नक्शा शीट की आकृति छोटी कम की गई है साबिक नक्शे का क्षेत्रफल 0.52हैक्टर जितना है जबकी हाल नक्शे का क्षेत्रफल 0.45हैक्टर है तहसीलदार केकडी की मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है।

बहस में प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपने पक्ष के समर्थन में बताया कि मुझ विपक्षी संख्या 2 ने खसरा संख्या 7307/8796 रकबा 0.69हैक्टर एवं खसरा नंबर 7306 पूर्व खातेदार मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकडी से उक्त आराजीयात स्थित केकडी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र 28.1.2008 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया जो वर्तमान जमाबंदी में मेरे खातेदार में दर्ज है मुझ अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज है अप्रार्थी संत्यनारायण की भूमि पर पूर्व में एन ओ सी जारी की गयी थी जो की मौके पर नाप चोप किये जाने के उपरान्त भी एन ओ सी जारी की गयी थी। मुझ अप्रार्थी ने मेरी क्रय शुदा भूमि पर वर्ष 2007 में पृथ्वीराज नगर के नाम से भूखण्ड विक्रय किये थे जो कई व्यक्तियों को भूखण्डो की रजिस्ट्री बेचान नामा करवाया गया व मौके पर नाप भूखण्ड सम्भलाये गये। व अप्रार्थी संख्या 3 ने वादग्रस्त भूमि टुकडा भूखण्ड जर्ये रजि. विक्रय पत्र के खरी कर कब्जा प्राप्त किया है राजस्व नक्शे की दुरूस्ती बाबत आवश्यक पक्षकार नही बनाये गये है जिस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है **पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई**

तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस को सुना गया। पैरोकार सरकार को प्रश्नगत प्रकरण पर सुना गया। प्रार्थी के दस्तावेज मौका पर्चा, भु.अ.नि. केकडी द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा में अंकित नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया। तहसीलदार केकडी की मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शे अनुसार वादग्रस्त आराजी कस्बा केकडी के साबिक खसरा नंबर 5621 एवं हाल खसरा नंबर 7307 की आकृति का मिलान किये जाने पर साबिक नंबर 5621 की आकृति की तुलना में हाल खसरा नंबर 7307 की आकृति छोटी पायी गई। खसरा नंबर 7307 की उतरी पश्चिमी भुला संलग्न मौका रिपोर्ट में नजरी नक्शे अनुसार खसरा नंबर 7307/8696 में बढती है अतः साबिक नक्शे के अनुसार हाल खसरा नंबर 7307 की प्रस्तावित दुरस्ती का लाल स्याही से दर्शित अनुसार दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार केकडी राजस्व रिकोर्ड नक्शा ट्रेस में अमलदरामद की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner